न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 34/2023
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 04.08.2023

निर्णय दिनांक : 08.01.2025

अनवान

1. श्रीमती सुरज कंवर पत्नी स्व. श्रवणसिंह जी जाति राजपुत उम्र 46 वर्ष निवासी गजींग जी की भागल, तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. सुश्री हेमशिखा पुत्री स्व. श्रवणसिंह जी जाति राजपुत उम्र 16 वर्ष निवासी गजींग जी की भागल तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. श्री विश्वप्रतापसिंह पिता स्व श्रवणसिंह जी जाति राजपुत उम्र 14 वर्ष निवासी गजींग जी की भागल तहसील आमेट जिला राजसमंद वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये संरक्षक माता वादी संख्या 1 सुरज कुंवर पत्नी स्व० श्रवणसिंह जी जाति राजपुत उम्र 46 वर्ष निवासी गजींग जी की भागल, तहसील आमेट जिला राजसमंद

.......................**प्रार्थीगण**

बनाम

1. अर्जुनसिंह पिता स्व० गुलाबसिंह जी जाति राजपुत उम्र 41 वर्ष
2. इन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जी जाति राजपुत उम्र 41 वर्ष
3. श्रीमती उच्छब कुंवर उर्फ ओछा कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क सभी निवासीयान गजींग जी की भागल तहसील आमेट
4. श्रीमती ककु कुंवर पुत्री किशनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
5. करणसिंह पिता अमरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
6. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
7. गणपतसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
8. श्रीमती जसवन्त कुवर पत्नी गुलाबसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
9. पर्वतसिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
10. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क
11. भगवतसिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपुत मृतक के बजाय
    11/1 सायर कंवर पत्नी भगवतसिंह जाति राजपूत
    11/2 गोविन्द सिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत
    11/3 अुर्जनसिंह पिता भगवतसिह जाति राजपूत
12. गोपालसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

13. विजयसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपूत
14. सायरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत
15. हंसा कुंवर पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत?
16. दशरथ कुंवर पत्नी अुर्जनसिंह जाति राजपूत
सभी निवासीयान गजींग जी का भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित,**
अधिवक्ता शराफत हुसैन
विपक्षीगण की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द मे स्थित खाता संख्या नया 210 के आराजी नम्बर 725, 726, 727, 728, 729 730 कुल किता 06 रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है। राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 52 के आराजी नम्बर 203, 204, 205, 206 कुल किता 04 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है। राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 130 के आराजी नम्बर 47, 48, 49, 50 कुल किता 04 रकबा 1.5550 हैक्टेयर भूमि विरासत की वादी संख्या 01 के पति स्व. श्रवणसिंह पिता गुलाब सिंह के स्वत्व अधिकार की कृषि भूमियां स्थित है जिसमे वादी संख्या 01 के पति श्रवणसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, नामान्तरण स्व. श्री श्रवणसिंह के बजाय विरासत से वादीगण के नाम पर दर्ज नही हुआ जिसमे वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 सुश्री दशरथ कंवर का दोनो का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमियो का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाना विधि सम्मत है जिससे रोज रोज के विवाद से मुक्ती प्राप्त हो वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख मे अंकित आराजियात का विभाजन रेखा के बाद उपयोग उपभोग व विकसित कर सकते है, जिससे विभाजन किया जाना न्यायहित मे उचित है। उक्त वर्णित भूमियो का खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है, इस कारण वादग्रस्त भूमियो को विकय अन्तरण खुर्द बुर्द करने का आमादा हो रहे है, जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, उपरोक्त भूमियो का खुर्द बुर्द विकय अन्तरण नही करें। उक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

के पक्ष मे है, यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय सारवान क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कदापि सम्भव नही होगी, प्रार्थीगण अपने वैध हक अधिकारो से वंचित हो जावेगे व पक्षकारो के मध्य व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढ कर परस्पर वैमनस्य बढेगा। ऐसी स्थिति मे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात का जब तक विभाजन नही हो जावे, तब तक विपक्षीगण उपरोक्त भूमियो को खुर्द बुर्द विक्रय अन्तरण नही करे तथा मौके की व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे। प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी तरह की रूकावट बाधा उत्पन्न नही करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 विभाजन कराने से सहमत होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 06, 10 बाद तामील न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 11 फौत जिसके कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र व संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे स्वीकार किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व गांव बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द मे स्थित खाता संख्या नया 210 के आराजी नम्बर 725, 726, 727, 728, 729 730 कुल किता 06 रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है। राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 52 के आराजी नम्बर 203, 204, 205, 206 कुल किता 04 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है। राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 130 के आराजी नम्बर 47, 48, 49, 50 कुल किता 04 रकबा 1.5550 हैक्टेयर भूमि विरासत की वादी संख्या 01 के पति स्व. श्रवणसिंह पिता गुलाब सिंह के स्वत्व अधिकार की कृषि भूमियां स्थित है जिसमे वादी संख्या 01 के पति श्रवणसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियो का खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है, इस कारण वादग्रस्त भूमियो को विक्रय अन्तरण खुर्द बुर्द करने का आमादा हो रहे है, जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वादी अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द मे स्थित खाता संख्या नया 210 के आराजी नम्बर 725, 726, 727, 728, 729 730 कुल किता 06 रकबा 2.2150 हैक्टेयर, राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

के खाता संख्या नया 52 के आराजी नम्बर 203, 204, 205, 206 कुल किता 04 रकबा 0. 1400 हैक्टेयर, राजस्व गांव गजसिंह जी भागल तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 130 के आराजी नम्बर 47, 48, 49, 50 कुल किता 04 रकबा 1.5550 हैक्टेयर भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **08.01.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)